8/C

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक
ANIL KUMAR CHOUDHARY
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

No. C/16/2009-MPLADS **01.10.2009**

To

The Commissioners,
Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi
Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: Furnishing of two separate Monthly Progress Reports for MPLADS funds released and implementation upto 14th Lok Sabha period and for 15th Lok Sabha, in respect of Lok Sabha Constituencies – regarding

It may be recalled that vide this Ministry's circular of even number dated 30.06.2009, it was clarified that the eligible works recommended by MPs upto the 14th Lok Sabha would be executed in the areas of the old constituencies and those instalments should also be released to the nodal districts of those constituencies. Further works recommended from 15th Lok Sabha onwards are to be implemented in the areas of the new constituencies, for which funds would be released to the concerned nodal districts of the new constituencies. Further, vide circular of even number dated 14.09.2009, it was also clarified that the databases upto the 14th Lok Sabha and that of 15th Lok Sabha onwards are to be maintained separately. A new savings bank account in respect of all 15th Lok Sabha MPs is required to be opened, even if the MP is re-elected from the same named constituency.

2. It has been noticed that many districts have clubbed the information in respect of 15th Lok Sabha along with that of the earlier Lok Sabhas(10th to 14th) while furnishing the Monthly Progress Reports (MPRs) in respect of Lok Sabha Constituencies. The clubbing of

status of implementation of the 15th Lok Sabha period alongwith that of earlier periods has resulted in non-updation of the database and non-release of funds.

3. It is once again re-iterated the two separate MPRs, **one reflecting the status of entitlement and implementation upto 14th Lok Sabha (10th to 14th Lok Sabha) and the other reflecting that of the 15th Lok Sabha period alone** (i.e. the information on the works recommended, sanctioned, completed etc. in the 15th Lok Sabha period, the expenditure incurred out of the Rs. 1 crore pertaining to the first installment of 2009-10 etc.) be furnished. Provision is also being made in the Online Monthly Progress Reporting System (MPR) to furnish the status upto 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha separately. **It would not be possible to release the second installment of 2009-10, as also the earlier pending installments upto 14th Lok Sabha, if MPR reflecting the status of 15th Lok Sabha is combined with that of earlier Lok Sabhas.**

4. The above instructions should be strictly complied with while implementing MPLAD Scheme.

Yours faithfully,

(A.K. Choudhary)
Director (MPLADS)

38 letter

Copy for information to:

1. The Secretaries, Nodal Departments, dealing with MPLADS (All States/UTs).
2. Officer on Special Duty, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
3. Additional Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

38

13/10/09

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

अनिल कुमार चौधरी
निदेशक
ANIL KUMAR CHOUDHARY
DIRECTOR
TEL : 23344933
FAX : 23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATIO
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-mail : akchoudhary@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैड्स **01.10.2009**

सेवा में

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में 14वीं लोक सभा तक की अवधि और 15वीं लोक **सभा के लिए जारी की गई एमपीलैड्स निधि एवं कार्यान्वयन के बारे में दो अलग-अलग मासिक प्रगति रिपोर्टें भेजना ।**

यह स्मरण कराया जाता है कि इस मंत्रालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.06.2009 में यह स्पष्ट किया गया था कि 14वीं लोक सभा तक सांसदों द्वारा अनुशंसित पात्र कार्य पुराने निर्वाचन-क्षेत्रों में निष्पादित किए जाएंगे तथा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के नोडल जिलों को किस्तें भी जारी की जाएंगी । इसके अलावा, आगे 15वीं लोक सभा से संस्तुत कार्य नए निर्वाचन-क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने हैं, जिसके लिए निधि नए निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंधित नोडल जिलों को जारी की जाएगी । इसके अतिरिक्त, दिनांक 14.09.2009 के समसंख्यक परिपत्र द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि 14वीं लोक सभा तक का तथा आगे 15वीं लोक सभा के लिए अलग-अलग डाटाबेस बनाया जाए । 15वीं लोक सभा के सभी सांसदों के संबंध में एक नया बचत बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित है चाहे सांसद उसी नाम के निर्वाचन-क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए हों ।

2. यह देखा गया है कि बहुत से ज़िलों ने लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्टें (एमपीआर) भेजते समय 15वीं लोक सभा के साथ पिछली लोक सभाओं (10वीं से 14वीं) की जानकारी को मिला दिया है । 15वीं लोक सभा की अवधि के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ

पिछली अवधियों को मिलाने के परिणामस्वरूप डाटाबेस अद्यतन नहीं हो पा रहा है और निधि जारी नहीं हो पा रही है ।

3. अतः एक बार पुनः यह दोहराया जाता है कि दो अलग-अलग एमपीआर भेजे जाएं । **एक जिसमें 14वीं लोक सभा तक (10वीं से 14वीं लोक सभा) पात्रता और कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाई गई हो तथा दूसरे जिसमें केवल 15वीं लोक सभा की स्थिति** (अर्थात् 15वीं लोक सभा अवधि में अनुशंसित, स्वीकृत, पूर्ण कार्यों की जानकारी आदि, 2009-10 की पहली किस्त से संबंधित 1 करोड़ रु. में से किए गए व्यय आदि) **दर्शाई गई हो** । 14वीं लोक सभा तक की तथा 15वीं लोक सभा की स्थिति अलग-अलग दर्शाने के लिए ऑनलाइन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सिस्टम (एमपीआर) में भी प्रावधान किया जा रहा है । **यदि, 15वीं लोक सभा की स्थिति को दर्शाने वाले** एमपीआर के साथ पिछली लोक सभाओं की स्थिति को मिला दिया जाता है, तो **2009-10 की दूसरी किस्त और साथ ही 14वीं लोक सभा तक लंबित पिछली किस्तों को जारी कर पाना संभव नहीं होगा ।**

4. एमपीलैड योजना को कार्यान्वित करते हुए उपर्युक्त अनुदेशों का पूरा-पूरा पालन किया जाए ।

भवदीय,

(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
2. विशेष कार्य अधिकारी, एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. अपर निदेशक, एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।